Political Science Dep.
BA-II (H) Paper IV

Dr. HUSNA ARA
Asst. Professor
Dr. L.K.V.D. College Tajpur
Samastipur.

संवैधानिक संरचना

(1) व्यवस्थापिका

संवैधानिक संरचना के तहत सरकार के तीन अंग होते हैं (i) व्यवस्थापिका (ii) कार्यपालिका (iii) न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाने वाली संस्था होती है। लोकतंत्र में व्यवस्थापिका का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इंग्लैंड में संसद सभी महत्वपूर्ण कार्य करती है उसे सम्प्रभु संसद कहा जाता है।

व्यवस्थापिका के कार्य:-

व्यवस्थापिका के कार्य सभी जगह एक जैसे नहीं होते लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जिसे प्रत्येक लोकतंत्रीय राज्य में व्यवस्थापिका को करना होता है जो इस प्रकार हैं —

(1) कानून निर्माण सम्बंधी कार्य :-

लोकतंत्र में सभी कानून व्यवस्थापिका द्वारा बनाए जाते हैं। वह कानून निर्माण में मूल्यों, मान्यताओं, जनता की इच्छा संवैधानिक आदर्शों का ध्यान रखती है। प्रजातंत्रिक व्यवस्था में जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कानून बनाती है। व्यवस्थापिका नए कानूनों का निर्माण करती है तथा पुराने कानूनों में परिस्थिति के अनुसार संशोधन भी

Scanned with CamScanner

करती है।

(2) कार्यपालिका पर नियंत्रण :-

व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण भी करती है। संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली वाले देशों में भी विभिन्न उपायों द्वारा व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है।

(3) वित्तीय कार्य :-

व्यवस्थापिका द्वारा अर्थव्यवस्था पर भी नियंत्रण किया जाता है। प्रत्येक वर्ष के आरंभ में अनुमानित आय-व्यय को व्यवस्थापिका स्वीकृत कर बजट प्रस्तुत करती है। कार्यपालिका बिना व्यवस्थापिका के अनुमति के पैसा खर्च नहीं कर सकती।

(4) न्यायिक कार्य :-

कुछ देशों में व्यवस्थापिका कतिपय न्यायिक कार्यों का भी सम्पादन करती है। जैसे - अमेरिका की सिनेट वहाँ के राष्ट्रपति पर लगाए गए महाभियोग के मुकदमे में निर्णय देने के लिए न्यायालय के रूप में बैठती है।

(5) निर्वाचन संबंधी कार्य

संसदीय प्रणाली के अंतर्गत विधायिका ही प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि का चुनाव करती है। Dr. Huma Ara

Scanned with CamScanner